राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4985//2023

कविता बिश्नोई पुत्री श्री मणि राम बिश्नोई, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी वृंदावन एन्क्लेव, ए-81, द्वितीय चरण, बीकानेर (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, बीकानेर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विवेक फिरोदा।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

रिपोर्ट योग्य

19/03/2024

1. यहां अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 30.01.2023 (अनुलग्नक 6) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की दिनांक 16.10.2020 (अनुलग्नक 4) के दंड

आदेश को चुनौती देने वाली अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता को मूल रूप से संचयी प्रभाव के बिना एक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी, जिसे घटाकर महज निंदा कर दिया गया था।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को स्कूल लेक्चरर के रूप में काम करते हुए दिनांक 17.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसने कारण बताओ नोटिस के तहत पूछा कि निम्नलिखित प्रस्तावित आरोपों के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए:-

> <u>आरोप संख्या **1**</u> याचिकाकर्ता, जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका थी, ने कथित तौर पर कक्षा 9 वीं, सत्र 2017-18 की परीक्षा में 47 में से 16/18 उम्मीदवारों को 20 से कम अंक दिए, जिसके कारण कई उम्मीदवार उक्त परीक्षा में असफल रहे।
>
> <u>आरोप संख्या **2**</u> याचिकाकर्ता को 28.04.2018 तक परिणाम पत्रक तैयार करना था, लेकिन उसने समय पर तैयार कर लिया।
>
> <u>आरोप संख्या **3**</u> याचिकाकर्ता को आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड बनाने का कार्य सौंपा गया था, जो उसने नहीं किया।
>
> <u>आरोप संख्या **4** व **5**</u> याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में आयोजित प्रवेशोत्सव में रुचि नहीं दिखाई।
>
> <u>आरोप संख्या **6**</u> याचिकाकर्ता अचिह्नित ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की पहचान करने और उन्हें स्कूल से जोड़ने के सौंपे गए कर्तव्य में रुचि नहीं ले रही थी।
>
> <u>आरोप संख्या **7**</u> याचिकाकर्ता आईसीटी लैब की प्रभारी थी और उसने उक्त लैब की चाबी खो दी थी।

3. इसके बाद जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। 21.05.2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को दोषी नहीं माना गया।

4. इसके बावजूद, सीसीए नियम के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 20.07.2020 (अनुलग्नक 2) को इस आधार पर आरोप-पत्र जारी किया कि सिविल

सेवा नियम (आचरण) नियम, 1971 के नियम 24 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी आधिकारिक मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अधीन किसी भी उच्च अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा या डालने का प्रयास नहीं करेगा।

5. याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों और आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 16.10.2020 (अनुलग्नक 4) के आदेश के तहत संचयी प्रभाव के बिना एक ग्रेड वेतन वृद्धि की सजा दी। उक्त आदेश को सीसीए नियमों के नियम 23 के तहत अपील में चुनौती दी गई थी।

6 अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 30.01.2023 (अनुलग्नक 6) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और सजा को केवल निंदा तक कम कर दिया।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

8. रिट याचिका केवल इस आशंका पर दायर की गई प्रतीत होती है कि जिस आदेश के तहत याचिकाकर्ता की निंदा की गई थी, वह उसके भविष्य की प्रगति के रास्ते में आ सकता है। जहां तक निंदा का सवाल है, इसे तब तक दंडात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसका कोई प्रतिकूल परिणाम न हो। निंदा केवल एक चेतावनी है।

9. जैसा कि पता चला, प्रतिवादियों ने उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए डीपीसी आयोजित की और स्कूल व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची जारी की, जो उक्त सूची में पदोन्नति के लिए योग्य पाए गए। याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल किया गया था। इसके बाद, दिनांक 21.02.2023 के आदेश (अनुलग्नक 7) के तहत प्रतिवादियों ने उस सूची में उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए पात्र पाया गया और दिनांक 21.02.2023 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.02.2023 के आदेश (अनुलग्नक 8) के अनुसार अस्थायी आधार पर कार्यभार ग्रहण किया।

10. अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि याचिकाकर्ता को ऊपर बताए अनुसार बाद में पदोन्नति से पुरस्कृत किए जाने के मद्देनजर कोई पूर्वाग्रह या प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ा है।

11. तदनुसार खारिज किया जाता है।

12. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।